

राज्य में जारी हुए
राज्य तीरीख
नाम जो हुक्म

यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला - टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गाप्रसाद मीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या:- 138/2023

निर्णय दिनांक :- 8/5/24

उनवानी प्रार्थना पत्र:-

1. मदन पुत्र भूरा जाति दमामी निवासी डाबरकंला तहसील देवली जिला टोक राज0
2. लालू पुत्र भूरा जाति दमामी निवासी डाबरकंला तहसील देवली जिला टोक राज0
3. विकास सिंह पुत्र माता सूरजकंवर जाति दमामी निवासी डाबरकंला तहसील देवली जिला टोक राज0

-प्रार्थीगण-

बनाम

तहसीलदार देवली तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

-अप्रार्थी-

उपस्थिति :- श्री आलोक कुमार शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थीगण

तहसीलदार देवली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0 आर0 एक्ट आर.टी.ए

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि खातेदारी की आराजी भूमि खाता संख्या 434 खसरा नम्बर 144/2291 रकबा 0.44 है0 वाके ग्राम डाबरकलां तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। है। उक्त आराजीयात प्रार्थी की खातेदारी की भूमि है। जिस पर काफी समय से ही सम्पूर्ण भूमि पर लगातार निर्बाध रूप से काबिज-काशत है। वर्तमान में आस-पास के खेत वालो ने प्रार्थी की उक्त भूमि पर मेड डोल को नष्ट कर दी है। प्रार्थी के खेत के पडोसियों ने नाजायत रूप से फायदा उठाकर प्रार्थी की भूमि को अपनी भूमि में मिलाने पर आमादा है तथा सीमाज्ञान के चिन्हो को धीरे-धीरे आने खेत में मिलाना चाह रहे है। इस कारण से प्रार्थी अपनी खातेदारी व कब्जे काशत की आराजीयात की पत्थरगढी करवाना चाहता है।

क प्रार्थी की आराजी के पडोसी काश्तकार प्रार्थी की भूमि को अपने खेतों में नहीं
लाना सके और मौके पर किसी भी तरह का विवाद उत्पन्न ना हो। प्रार्थी अपने खेत
पर जाते हैं तो वहां पर सीमा चिन्ह नहीं मिलते हैं। वर्तमान में खेत खाली हैं। इसलिए
अभी खेत की पत्थरगढी की जाती है तो आने वाले समय में जब फसल काश्त होगी
तो कोई विवाद पैदा नहीं होगा और प्रार्थीगण मुकदमेबाजी से बच जायेंगे। प्रार्थना पत्र
का श्रवणाधिकार न्यायालय को प्राप्त है। अतः उक्त आराजी बाबत श्रीमान तहसीलदार
देवली को नियमानुसार आदेश फरमाया जावे।

अप्रार्थी तहसीलदार देवली की तलबी जारी की गई।

तहसीलदार देवली द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की जो निम्न प्रकार है :- उक्त आराजी
प्रार्थी की खातदारी में दर्ज है व कब्जे काश्त की है। प्रार्थीगण का अन्य पडोसी
खातेदारों खसरा नम्बर 144, 145, 141/2401, 150, 151 व 141/2339 से सीमा
विवाद है। जिन खातेदारों से सीमा विवाद है उनको पक्षकार नहीं बनाया गया है।
उनको पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। उक्त आराजी के सम्बंध में किसी भी
पक्षकार का विरासत नामान्तकरण अवशेष नहीं है। उक्त आराजी भूमि की सीमाओं पर
अतिक्रमित राजकीय भूमि नहीं है। उक्त आराजी के सम्बंध में किसी न्यायालय में
स्थगन नहीं है और पूर्व में सीमाज्ञान नहीं हुआ है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।


अधिवक्त प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की
प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया, अधिवक्ता प्रार्थी बहस पर मनन किया।
तहसीलदार देवली की बिन्दूवार रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः
तहसीलदार देवली को एतत् द्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी व पडोसी
खातेदारों की उपस्थिति में प्रार्थी नियमानुसार पत्थरगढी/सीमाज्ञान शुल्क राजकोष
में जमाकर जमाबंदी सम्वत् 2071-74 में अंकित खाता संख्या 434 खसरा नम्बर
144/2291 रकबा 0.44 है0 वाके ग्राम डाबरकलां तहसील देवली जिला टोंक की



पत्थरगढी प्रार्थी/प्रार्थीगण का उक्त आराजी पर कब्जा होने पर की जावे
अथवा उक्त आराजी का सीमाज्ञान कर प्रार्थीगण को अवगत करावे। पत्रावली फ़ैसल
शुमार होकर नम्बर से कम हो। नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ़तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
देवली